अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

इस अध्याय में योजना के वित्तपोषण पर चर्चा की गई है जिसमे योजना के अंतर्गत निधियों के अवमुक्त एवं उपभोग किये जाने से संबंधित प्रकरण सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: निधियों का आवंटन एवं वितरण पर्याप्त तथा समयबद्ध तरीके से किया गया एवं इसका उपभोग भी मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु उपलब्ध ₹ 39,835 करोड़ की कुल कार्यक्रम निधि में से राज्य सरकार द्वारा ₹ 37,984 करोड़ (95 प्रतिशत) का उपभोग किया गया।
- वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2019-20 की अवधि में केन्द्रीय अंश के राज्य नोडल खाते में विलम्ब से अंतरण के कारण, राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 16.56 करोड़ की देनदारी सृजित की गयी।
- वर्ष 2017-23 की अवधि में लाभार्थियों को पहली किश्त निर्गत करने के 79 प्रतिशत प्रकरणों में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त आवासों के पूर्ण होने के एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2024 तक 11,031 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता राशि ₹ 20.18 करोड़ हस्तांतरित नहीं की गयी थी।
- वर्ष 2017-23 की अवधि में 1,838 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 9.52 करोड़ की किश्तें अवमुक्त की गयी जिसमें से अक्टूबर 2024 तक ₹ 2.62 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।
- राज्य द्वारा वर्ष 2017-23 की अवधि में उपलब्ध प्रशासनिक निधियों का मात्र 7.71 से 50.16 प्रतिशत का ही उपभोग किया जा सका। प्रशासनिक निधियों के कम उपभोग के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-23 की अवधि में कुल ₹ 357.29 करोड़ का केन्द्रीय अंश कम अवमुक्त हुआ।
- वर्ष 2018-23 की अवधि से सम्बंधित ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के 50,771 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति, निधियों की उपलब्धता के उपरान्त भी भुगतान हेतु लंबित (अक्टूबर 2024) थी।

3.1 निधि प्रबंधन

3.1.1 निधि प्रवाह

योजना को केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्रमश: 60:40 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है। अवमुक्त निधि में कार्यक्रम निधि (नए आवासों के निर्माण हेतु) और प्रशासनिक निधि (प्रशासनिक व्यय[28] हेतु) सम्मिलित है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधानित है कि राज्य स्तर पर एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बचत बैंक खाते के रूप में राज्य नोडल खाते का रख-रखाव करना था। वार्षिक केन्द्रीय आबंटन की धनराशि के समतुल्य राज्यांश को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य नोडल खाते में साथ ही जमा किया जाना था।

3.1.2 कार्यक्रम निधि

वर्ष 2017-23 की अवधि में राज्य द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गयी कार्यक्रम निधियों का विवरण ***तालिका 3.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कार्यक्रम निधि की प्राप्ति एवं उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार का अंश	राज्यांश	ब्याज	अन्य प्राप्ति	योग	व्यय (*प्रतिशत में*)	अन्तिम अवशेष
2017-18	2736.02	4927.16	3547.75	34.82	0.00	11245.75	10413.03 (92.60)	832.72
2018-19	832.72	2655.37	1770.24	23.53	0.00	5281.86	4724.71 (89.45)	557.15
2019-20	557.15	1261.18	840.78	12.78	21.84	2693.73	2213.63 (82.18)	480.10
2020-21	480.10	4835.85	2556.92	18.25	1.58	7892.70	5771.94 (73.13)	2120.76
2021-22	2120.76	3685.17	2957.52	9.56	0.63	8773.64	7978.41 (90.94)	795.23
2022-23	795.23	4648.43	3265.19	24.73	0.07	8733.65	6882.38 (78.80)	1851.27
योग		**22013.16**	**14938.40**	**123.67**	**24.12**		**37984.10**	

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास, उ.प्र. द्वारा प्रदान की गई सूचना)

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-23 की अवधि में उपलब्ध कुल कार्यक्रम निधियों (₹ 39,835.37 करोड़[29]) में से विभाग द्वारा प्रधानमंत्री

[28] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.3.1 में प्रावधान है कि राज्य को अवमुक्त कार्यक्रम निधि के चार प्रतिशत (जिसे बाद में वर्ष 2019-20 से दो प्रतिशत तक संशोधित किया गया था) तक का उपभोग योजना के संचालन के लिए किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यय को केन्द्र और राज्यों द्वारा उसी अनुपात में साझा किया जाता है जो मुख्य कार्यक्रम व्यय पर लागू होता है।

[29] वर्ष 2017-18 का आरंभिक शेष (₹ 2,736.02 करोड़) + भारत सरकार का अंश (₹ 22,013.16 करोड़) + राज्यांश (₹ 14,938.40 करोड़) + ब्याज (₹ 123.67 करोड़) + अन्य प्राप्तियाँ (₹ 24.12 करोड़) = ₹ 39,835.37 करोड़।

आवास योजना-ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 37,984.10 करोड़ (95 *प्रतिशत*) का उपभोग किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि राज्य नोडल खाते में निधियों की उपलब्धता एवं एवं लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार, लाभार्थियों के खाते में किश्तों का हस्तांतरण करके आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया था ।

3.2 राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश निर्गत करने में विलंब

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 10.7 में प्रावधानित था कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधियों सहित आवंटित केंद्रीय निधियों को, आवंटन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर राज्य नोडल खाते में अंतरित किया जाना चाहिए जिसमें विफल रहने पर, राज्य नोडल खाते में हस्तांतरित नहीं की गयी केंद्रीय निधि की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज देय होगा। अगली किश्त निर्गत करते समय राज्य को दांडिक ब्याज जमा करने के संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसमें विफल रहने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तद्नुसार गणना की गयी राशि उसके केन्द्रीय अंश से काट ली जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2019-20 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (कार्यक्रम निधि एवं प्रशासनिक निधि) का केन्द्रांश, राज्य सरकार द्वारा राज्य नोडल खाते में 74 से 105 दिनों के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में प्रदर्शित है। केन्द्रीय अंश की विलम्ब से अवमुक्ति ने राज्य सरकार को ₹ 16.56 करोड़ के दांडिक ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाया। आयुक्त ग्राम्य विकास ने बताया (मार्च 2024) कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किश्तों में से कोई अर्थदण्ड नहीं काटा गया। अग्रेतर, यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 तक दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि केन्द्रांश को अवमुक्त करने में, प्रक्रियात्मक समय लगने एवं वित्त विभाग द्वारा तकनीकी कारणों से केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने की पुष्टि में विलम्ब या वित्तीय वर्ष के अंत में केन्द्रांश को अवमुक्त करने के कारण विलम्ब हुआ था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि

विलम्ब प्रक्रियात्मक था एवं भारत सरकार द्वारा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था।

3.3 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त करने में विलम्ब

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.4.1 में प्रावधान के अनुसार आवास निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह (सात कार्य दिवस) के अन्दर लाभार्थी को कार्यक्रम निधि में से प्रथम किश्त, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-23 की अवधि में, राज्य में केवल 21 प्रतिशत लाभार्थियों को ही सात कार्य दिवसों के अन्दर प्रथम किश्त प्राप्त हुई एवं पर्याप्त संख्या (79 प्रतिशत) में ऐसे लाभार्थी थे जिन्हें नियत समयावधि में प्रथम किश्त प्राप्त नहीं हो सकी, जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में प्रदर्शित है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रथम किश्त अवमुक्त करने में लिया गया समय

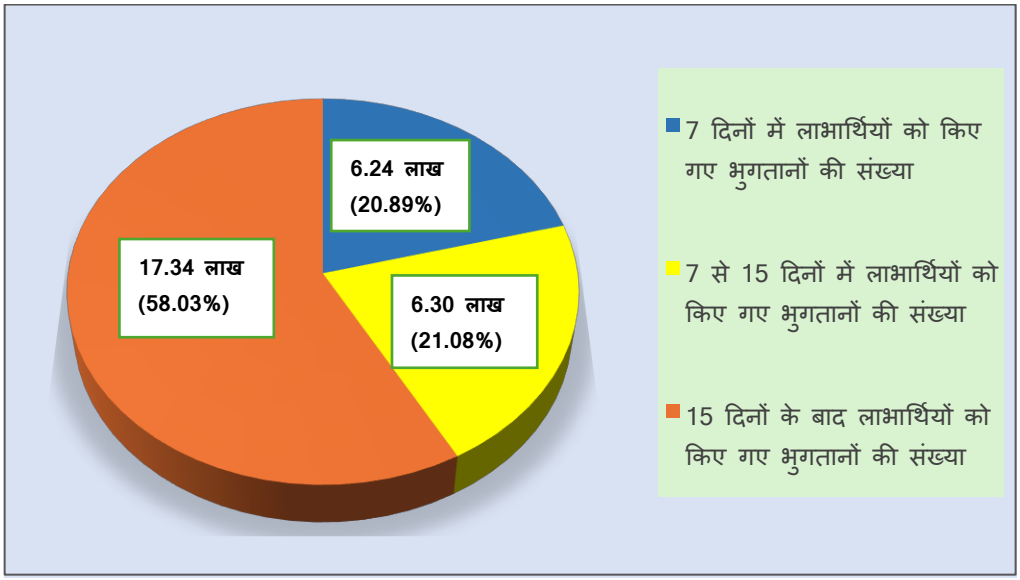

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रदान की गई सूचना)

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों के 2,178 लाभार्थियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह देखा गया कि 1,242 (57 प्रतिशत) लाभार्थियों के प्रकरणों में प्रथम किश्त अवमुक्त करने में 15 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ (**परिशिष्ट 3.2**)। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि प्रथम किश्त अवमुक्त करने के लिए क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रदान की गई समय-सीमा का विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर (सितंबर 2024) में बताया कि नियत अवधि में प्रथम किश्त अवमुक्त न करना तकनीकी कारणों जैसे खाते के सत्यापन में विलम्ब, आदेश पत्रक तैयार करने में समस्या, निधि हस्तांतरण आदेश की अस्वीकृति और ग्रामों/विकास खण्डों में सर्वर की कार्यप्रणाली में समस्या से था। राज्य सरकार ने आगे बताया कि सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)/बैंक से संवितरण की सूचना प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण आवाससॉफ्ट पर क्रेडिट रिपोर्ट दर्शाने में भी विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण किश्तों के संवितरण में इस प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही कर सकती है।

3.4 लाभार्थियों को किश्त का भुगतान न करना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, लाभार्थी को आवास के निर्माण के लिए आवासीय इकाई की सहायता राशि ₹ 1.20 लाख प्रदान की जानी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.7.2 में प्रावधान के अनुसार राज्य को प्रथम किश्त का भुगतान अनिवार्य रुप से आवास स्वीकृति के समय करना चाहिए तथा राज्य द्वारा शेष किश्तों को निर्माण के विभिन्न चरणों/स्तरों[30] से मैप करना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आयुक्त ग्राम्य विकास को तीन किश्तों में, ₹ 40,000 (आवास की स्वीकृति के समय), ₹ 70,000 (प्लिंथ स्तर तक निर्माण के पश्चात) और ₹ 10,000 (छत ढलाई स्तर[31] के पश्चात) लाभार्थी को आवासीय इकाई की सहायता राशि निर्गत करने हेतु निर्देशित (जून 2017) किया गया।

आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रदान की गई सूचना (मार्च 2024) के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अवधि में पूर्ण किए गए 20,009 आवासों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि ₹ 241.23 करोड़ में से ₹ 27.20 करोड़ अवमुक्त किया जाना लंबित था, जैसा कि ***तालिका 3.2*** में विवरण प्रदर्शित है।

---

30 दूसरी किश्त को या तो नींव या प्लिंथ स्तर और तीसरी किश्त को या तो विंडसिल/लिंटेल/रूफ कास्ट स्तर के साथ मैप किया जाना था।

31 नवंबर 2017 में, उ०प्र० शासन ने निर्देश दिया कि तीसरी किश्त आवास के पूर्ण होने के पश्चात्, यानी छत ढलाई एवं प्लास्टर के पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।

तालिका 3.2 पूर्ण आवासों के लिए अवमुक्त की जाने वाली लंबित राशि

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्ण किये गए आवासों की संख्या जिसके लिए लाभार्थी को आवासीय इकाई की सहायता राशि अवमुक्त किया जाना लंबित था	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	अवमुक्त किये जाने हेतु लंबित राशि
2017-18	1014	1224.80	976.98	247.82
2018-19	430	518.00	456.30	61.70
2019-20	673	812.30	722.80	89.50
2020-21	2266	2732.70	2407.24	325.46
2021-22	2357	2857.50	2505.98	351.52
2022-23	13269	15977.80	14333.80	1644.00
योग	**20009**	**24123.10**	**21403.10**	**2720.00**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

तालिका 3.2 से यह देखा जा सकता है कि 20,009 लाभार्थियों को उनके आवासों के पूरा होने के एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी ₹ 27.20 करोड़ की राशि अवमुक्त किया जाना शेष (मार्च 2024) था। आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर डेटा को अद्यतन न करने, राज्य नोडल खाते में पर्याप्त धन की अनुपलब्धता, सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की डेटा परिशोधन या तकनीकी समस्या या आवाससॉफ्ट की तकनीकी समस्या को भुगतान लंबित होने के कारणों के रूप में बताया (मार्च 2024) गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2024) कि यह एक सतत् प्रक्रिया थी और आवाससॉफ्ट पर प्राप्त सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की प्रतिक्रिया के आधार पर रिपोर्ट बदलती रहती है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि अगस्त 2024 तक 11,031 लाभार्थियों के सापेक्ष ₹ 20.18 करोड़ भुगतान हेतु लंबित थे।

राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने अपने आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया था, उन्हें समय पर भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

3.5 प्रशासनिक निधि

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.3.1 में प्रावधान था कि राज्य को अवमुक्त की गयी कार्यक्रम निधि के चार प्रतिशत तक का उपभोग योजना के संचालन के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष 2019-20 से इसे कम करके कार्यक्रम निधि के दो प्रतिशत तक कर दिया गया था, जिसमें से केंद्रीय स्तर पर कार्यक्रम निधि का 0.30 प्रतिशत बनाए रखा

जाना था एवं कार्यक्रम निधि का शेष 1.70 प्रतिशत राज्यों को प्रशासनिक निधि के रूप में निर्गत किया जाना था।

राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2017-23 की अवधि में प्राप्ति एवं व्यय की गयी प्रशासनिक निधियों का विवरण ***तालिका 3.3*** में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रशासनिक निधियों की प्राप्ति और उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश	ब्याज	विविध प्राप्तियाँ	कुल निधि	व्यय (कुल निधि के प्रतिशत में)	अंतिम अवशेष
2017-18	8.49	20.91	36.13	0.72	0.02	66.27	33.24 (50.16)	33.03
2018-19	33.03	0.00	0.00	1.32	0.00	34.35	2.65 (7.71)	31.70
2019-20	31.70	0.00	0.00	0.80	42.11	74.61	22.35 (29.96)	52.26
2020-21	52.26	0.00	0.00	0.00	0.57	52.83	24.71 (46.79)	28.12
2021-22	28.12	41.83	27.88	0.00	0.02	97.85	30.73 (31.41)	67.12
2022-23	67.12	128.59	85.73	0.00	0.18	281.62	43.12 (15.31)	238.50
योग		**191.33**	**149.74**	**2.84**	**42.90**		**156.80**	

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधियों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि ₹ 395.30[32] करोड़ में से राज्य द्वारा प्रशासनिक निधि का मात्र ₹ 156.80 करोड़ (40 प्रतिशत) उपभोग किया जा सका। वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधियों का वर्षवार उपभोग 7.71 से 50.16 प्रतिशत के बीच था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम निधि के निर्दिष्ट प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2017-23 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधियों के कम उपभोग के परिणामस्वरूप, केन्द्रांश ₹ 357.29 करोड़ कम अवमुक्त किया गया (***परिशिष्ट 3.3)***।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधान के अनुसार राज्य स्तर पर प्रशासनिक निधि का 0.5 प्रतिशत तक बनाये रखा जा सकता था और 3.5 प्रतिशत जनपदों में वितरित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधि के अंतर्गत, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिभाषित 13 मदों में से राज्य स्तर पर

[32] प्रारंभिक अवशेष ₹ 8.49 करोड़ +भारत सरकार अंश ₹ 191.33 करोड़ + राज्य अंश ₹ 149.74 करोड़ + ब्याज ₹ 2.84 करोड़ + विविध प्राप्ति ₹ 42.90 करोड़ = ₹ 395.30 करोड़

कार्यों/गतिविधियों[33] के मात्रा चार मदों पर ही व्यय किया गया था**,** जैसा कि ***तालिका 3.4*** में वर्णित है।

तालिका 3.4 प्रशासनिक निधि से किए गए व्यय का विवरण

क्रम सं॰	प्रशासनिक निधि के व्यय की मद	व्यय (₹ लाख में)						
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
(i)	आवाजाही, सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), संचार प्रणाली, कार्यालय के फुटकर खर्चों इत्यादि सहित योजना के क्रियान्वयन का सर्वेक्षण एवं निगरानी लागत	273.74	151.32	262.91	300.45	321.88	402.44	**1712.74**
(ii)	संविदा कार्मिकों को रखने सहित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना और इसके संचालन की लागत	14.31	14.27	7.28	8.01	5.54	18.36	**67.77**
(iii)	सामाजिक लेखापरीक्षा और सूचना शिक्षा एवं संचालन कार्यकलाप	27.84	3.69	1135.15	0.92	0.5	15.25	**1183.35**
(iv)	ज्ञानार्जन हेतु यात्राओं सहित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.67	92.56	241.29	304.89	187.52	260.13	**1087.06**
योग		**316.56**	**261.84**	**1646.63**	**614.27**	**515.44**	**696.18**	**4050.92**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नमूना जाँच किये गए जनपदों में वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधियों का उपभोग 20 से 100 प्रतिशत तक रहा (***परिशिष्ट 3.4)***, जिसमें जनपद झांसी में सबसे कम एवं जनपद हमीरपुर में सबसे अधिक उपभोग किया गया था। जनपद हमीरपुर में सम्पूर्ण प्रशासनिक निधि (₹61.97 लाख) का उपभोग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में निर्धारित 13 में से केवल दो मदों[34] पर ही किया गया था। नमूना जाँच किए

[33] नौ अन्य मदों अर्थात, (i) लाभार्थियों को पर्यावास एवं आवासों के बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा उन्हें जागरूक करने वाले कार्यकलाप (ii) प्रदर्शन के लिए आवास टाइपोलॉजी का प्रोटोटाइप तैयार करना (iii) राजमिस्त्री के प्रशिक्षण एवं उन्हें प्रमाण-पत्र दिए जाने सम्बन्धी लागत, (iv) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) अर्थात एनआरएलएम अनुपालन करने वाले एसएचजी, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संगठनों का प्रशिक्षण (v) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को मानदेय और गैर-सरकारी संगठनों को सेवा प्रभारों का भुगतान (vi) वस्तुस्थिति ज्ञात करने तथा मूल्याँकन अध्ययन सहित अन्य अध्ययन कराना (vii) आवासों से सम्बंधित अभिनव प्रौद्योगिकियों और कार्यों को दर्शाने की लागत (viii) राज्य तकनीकी सहायता अभिकरण के रूप में आईआईटी/एनआईटी या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाएं लेने की लागत (ix) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी से सम्बंधित लागत पर कोई व्यय नहीं किया गया।

[34] पर्यवेक्षण की लागत, निगरानी कार्यालय और आकस्मिकताओं और सामाजिक लेखा परीक्षा

गए 16 जनपदों[35] द्वारा प्रशासनिक निधियों का उपभोग जिन मदों/कार्यकलापों में किया गया उनका विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि सभी स्तरों पर प्रशासनिक निधियों से व्यय आवश्यकता अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, धनराशि का निर्धारित प्रतिशत तक उपभोग न करने के कारण वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि में प्रशासनिक निधियों का केन्द्रांश प्राप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि वर्ष 2018-21 की अवधि में निधियों के उपभोग न करने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक निधियों के केन्द्रांश को कम निर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रशासनिक निधि का उपभोग करके की जाने वाली परिकल्पित कई गतिविधियों को नहीं किया गया था।

3.6 ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान लंबित रहना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.3.1 के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.3.1 के अनुसार प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लागत की अनुमति दी गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत (सितंबर 2017) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधि से निर्धारित मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सौंपी (नवंबर 2018) गयी थी । राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया था।

जैसा कि ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों में परिकल्पित था कि इन प्रशिक्षुओं को मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ (मार्च 2019) होने से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् मजदूरी

[35] जाँच किए गए तीन जिलों (सीतापुर, बहराइच और जौनपुर) द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

क्षतिपूर्ति की दर ₹ 213 प्रतिदिन इस शर्त के साथ तय की गयी (फरवरी 2023) कि मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद से किया जाएगा। आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा मजदूरी क्षतिपूर्ति की दर के अनुमोदन के बारे में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को सूचित (अप्रैल 2023) किया गया एवं प्रशिक्षुओं को इसके भुगतान के लिए राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को उत्तरदायी बनाया गया। इसके पश्चात् राज्य ग्राम्य विकास संस्थान ने 1,500 प्रशिक्षुओं को ₹ 1.44 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2024) किया गया। जबकि वर्ष 2018-23 की अवधि से संबंधित शेष 50,771 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान अक्टूबर 2024 तक लंबित था। इस प्रकार निधियों की उपलब्धता के उपरांत भी प्रशिक्षुओं को मजदूरी क्षतिपूर्ति के लाभ से वंचित रखा गया था।

राज्य सरकार ने समापन बैठक के दौरान उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि वह निकट भविष्य में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 28.70 करोड़ की लंबित मजदूरी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध थी।

3.7 अपात्र व्यक्तियों को आवास स्वीकृति के सापेक्ष वसूली लंबित रहना

नमूना जाँच किये गए 11 जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित 1,838 अपात्र व्यक्तियों को वर्ष 2017-23 की अवधि में आवास स्वीकृत किये गए थे। तथापि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अनुदान निर्गत करने के पश्चात् ये लाभार्थी विभिन्न कारणों जैसे पक्का आवास रखने वाले लाभार्थी, परिभाषित सीमा से अधिक भूमि, पहले से आवंटित आवास, लाभार्थियों द्वारा तथ्यों को छिपाया जाना आदि, से अयोग्य पाए गए। इन अपात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ₹ 9.52 करोड़ अवमुक्त किये गए थे, जैसा कि ***तालिका 3.5*** में वर्णित है।

तालिका 3.5: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों का विवरण

(₹ लाख में**)**

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गयी राशि	सितंबर 2024 तक अपात्र लाभार्थियों से वसूल की गई राशि	सितंबर 2024 तक वसूल की जाने वाली शेष राशि
1	आजमगढ़	193	77.20	24.40	52.80
2	बांदा	36	25.00	0.00	25.00
3	बाराबंकी	286	123.60	122.80	0.80

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गयी राशि	सितंबर 2024 तक अपात्र लाभार्थियों से वसूल की गई राशि	सितंबर 2024 तक वसूल की जाने वाली शेष राशि
4	बदायूं	51	24.74	24.74	0.00
5	हमीरपुर	67	47.50	28.30	19.20
6	लखीमपुर खीरी	430	194.80	182.20	12.60
7	महाराजगंज	237	140.30	140.30	0.00
8	मुरादाबाद	3	1.20	0.00	1.20
9	संभल	8	4.20	0.00	4.20
10	सुल्तानपुर	173	110.50	0.00	110.50
11	उन्नाव	354	202.70	167.40	35.30
योग		**1838**	**951.74**	**690.14**	**261.60**

(स्रोत: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 3.7 से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गए 11 जनपदों में अपात्र लाभार्थियों को अवमुक्त किए गए ₹ 9.52 करोड़ में से ₹ 6.90 करोड़ ही वसूल किए जा सके थे तथा सितंबर 2024 तक ₹ 2.62 करोड़ की राशि की वसूली लंबित थी। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक लाभार्थी के विधिवत सत्यापन के पश्चात् ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची तैयार की जाती है और केवल पात्र लाभार्थियों को ही सम्मिलित किया जाता है**,** इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा-सूची में अपात्र व्यक्तियों का सम्मिलित होना एवं उन्हें सहायता राशि निर्गत किया जाना यह संकेत करता था कि पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में यथोचित सावधानी सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्थायी प्रतीक्षा-सूची में पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने के निर्देश उपलब्ध है, तथापि, कुछ प्रकरणों में, लाभार्थी के पास पक्का मकान, किसान क्रेडिट कार्ड, मोटरसाइकिल, किसी दूसरे गाँव या स्थान में पक्का मकान, अतिरिक्त भूमि आदि के कारण त्रुटि की संभावना बनी रहती है। ऐसे प्रकरणों के संज्ञान में आने के पश्चात् वसूली की कार्यवाही की गयी थी। यह भी सूचित किया गया कि अपात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गयी थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान, यह सूचित किया गया कि ऐसे प्रकरणों में लंबित राशि की वसूली एवं अन्य कार्यवाही प्रगति पर थी।

3.8 बैंकों द्वारा भुगतान अस्वीकार किया जाना

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 13.4.2 (ई) में प्रावधान था कि प्रथम आदेश-पत्र तैयार करने से पहले आवाससॉफ्ट के विकास खण्ड के लॉग इन से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी के बैंक खाते को फ्रीज किया जाना चाहिए, फ्रीज किए गए सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, इसे विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा, जो यह पता करेगा कि खाताधारक का नाम आवाससॉफ्ट में दर्ज लाभार्थी के नाम से मेल खाता हो। लाभार्थी के बैंक खाते जो सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा एवं तत्पश्चात् विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए है, भुगतान के लिए आदेश-पत्रक में मात्र वही उल्लिखित होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 13.6.3 में प्रावधान था कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत समस्त किश्तों का भुगतान आवाससॉफ्ट पर सृजित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से किया जायेगा, जिसे सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा संसाधित किया जायेगा और लाभार्थी के खातों में निधि के अंतरण के लिए राज्य नोडल बैंकों को अग्रेषित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना (मार्च 2024) में पाया गया कि राज्य के 5,289 लाभार्थियों के प्रकरणों में, निधि अंतरण आदेश के माध्यम से उन्हें भुगतान की गई राशि को बैंक द्वारा इन कारणों, जैसे बैंक द्वारा एन.पी.सी.आई.[36] मैपर से आधार संख्या डी-सीड किये जाने के कारण ग्राहक को अपने बैंक से संपर्क करना, ऐसा कोई खाता न होना, खाता बंद होना, खाता संख्या को आधार संख्या से मैप नहीं किया जाना, अमान्य बैंक पहचानकारक, खाता बंद या स्थानान्तरित हो जाना, खाता अवरुद्ध या फ्रीज होना एवं खाता बंद हो जाना आदि, से अस्वीकार कर दिया गया था। बैंकों द्वारा ऐसे अस्वीकृत किये गए प्रकरणों का किश्तवार विवरण ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.6 बैंकों द्वारा अस्वीकृत भुगतान का विवरण

किश्त	अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की संख्या
पहली	1988
दूसरी	1065
तीसरी	2236
योग	**5289**

(स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वेबसाइट दिनांक 30 मार्च 2024 के अनुसार)

[36] भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एन.पी.सी.आई.)

जैसा कि तालिका 3.6 में दर्शाया गया है, बैंक द्वारा 5,289 मामलों में भुगतान अस्वीकार कर दिया गया था और आवास के निर्माण की सहायता राशि के भुगतान से लाभार्थी को वंचित कर दिया गया था। चूंकि लाभार्थी को स्वीकृति आदेश[37], बैंक खाते और लाभार्थी के विवरण के सत्यापन के पश्चात् निर्गत किया जाता है, इसलिए बैंकों द्वारा भुगतान अस्वीकृत किये जाने के प्रकरण, सत्यापन प्रक्रिया में शिथिलता की ओर संकेत करते थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में (सितंबर 2024) विभिन्न तकनीकी कारणों से ऐसे 4,506 प्रकरण लंबित थे। आगे यह भी बताया गया की यह एक सतत् प्रक्रिया थी और भविष्य में इसका पूर्ण समाधान कर लिया जाएगा।

3.9 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सहायता राशि उद्दिष्ट लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं किया जाना

आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रदान की गई सूचना (मार्च 2024) के अनुसार, राज्य के 13 जनपदों में 189 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए निर्गत सहायता राशि (₹102.90 लाख) संदिग्ध साइबर अपराध के कारण लाभार्थियों के बैंक खातों के स्थान पर अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित हो गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में वर्णित है। अग्रेतर, जाँच से पता चला कि नमूना जाँच के सात जनपदों में 157 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता राशि अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा हो गई थी, जैसा कि ***तालिका 3.7*** में वर्णित है।

तालिका 3.7: लाभार्थियों से भिन्न बैंक खातों में किश्तों के हस्तांतरण के प्रकरण

जनपद	लाभार्थियों की संख्या (अन्य खाते में हस्तांतरित राशि)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
अम्बेडकर नगर	6 (₹ 2.40 लाख)	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उद्दिष्ट छः लाभार्थियों के लिए आवासीय इकाई की सहायता राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि संदिग्ध साइबर अपराध के कारण झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गयी थी। यद्यपि, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने आयुक्त ग्राम्य विकास को सूचित (जुलाई 2019) किया था लेकिन हस्तांतरित राशि अभी तक वसूल (सितंबर 2024) नहीं की जा सकी थी। आगे यह भी देखा गया कि छः में से तीन प्रकरणों में आवासों के पूर्ण होने की सूचना दी गई थी। तथापि, इन लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान लंबित था।

[37] क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.3.2

जनपद	लाभार्थियों की संख्या (अन्य खाते में हस्तांतरित राशि)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
बहराइच	105 (₹66.40 लाख)	विकास खण्ड मिहींपुरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उद्दिष्ट 105 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए आवासीय इकाई की सहायता राशि झारखंड राज्य में गढ़वा और पलामू जनपद (94 प्रकरणों), बिहार राज्य में जनपद औरंगाबाद (एक प्रकरण) और उत्तर प्रदेश में बहराइच, चंदौली एवं वाराणसी जनपदों (10 प्रकरणों) में संदिग्ध साइबर अपराध के कारण अन्य खातों में अंतरित हो गयी थी। इस प्रकरण में विकास खण्ड मिहींपुरवा के खंड विकास अधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी (जुलाई 2018) दर्ज करायी गयी थी, लेकिन मार्च 2024 तक राशि वसूल नहीं हो सकी थी। इन प्रकरणों में आवासीय इकाई की सहायता राशि का भुगतान न हो पाने के कारण इन 105 लाभार्थियों के आवास अधूरे थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विकास खण्ड बलहा में ऐसे दो और प्रकरण थे, तथापि अंतरित राशि का ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।
जौनपुर	4 (₹3.00 लाख)	चार लाभार्थियों के प्रकरण में आवासीय इकाई की सहायता राशि झारखंड राज्य में जनपद गढ़वा के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गयी थी। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास को जुलाई 2019 में सूचित किया गया था। इन लाभार्थियों के आवास अप्रैल 2024 तक अधूरे थे। यह राशि सितंबर 2024 तक वसूल नहीं हो सकी थी।
झांसी	2 (₹0.80 लाख)	आवासीय इकाई की सहायता राशि ओडिशा राज्य के जनपद बालासोर एवं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में हस्तांतरित हो गयी थी। आयुक्त ग्राम्य विकास को फरवरी 2024 में सूचित किया गया था, लेकिन राशि की वसूली (मार्च 2024) नहीं हो सकी थी एवं उद्दिष्ट लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
मुरादाबाद	8 (₹3.90 लाख)	सात लाभार्थियों की पहली किश्त एवं एक लाभार्थी के प्रकरण में दो किश्तों की धनराशि झारखंड राज्य के विभिन्न भारतीय स्टेट बैंक खातों में हस्तांतरित हो गई थी। उद्दिष्ट लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था एवं इन लाभार्थियों के आवास अधूरे रह गए थे और मार्च 2024 तक राशि की वसूली नहीं हुई थी। आगे सूचित किया गया कि ये सभी प्रकरण विकास खण्ड बनियाखेड़ा से सम्बंधित हैं जिसका विलय वर्तमान मे संभल जनपद में हो गया है। लेकिन, ऐसे लाभार्थियों के विषय में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, संभल एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई संभल जनपद की संदिग्ध साइबर अपराध से प्रभावित लाभार्थियों सूची में इन्हें सम्मिलित नहीं पाया गया।
संभल	25 (₹10.00 लाख)	उद्दिष्ट लाभार्थियों की पहली किश्त की राशि झारखंड राज्य के पलामू और गढ़वा जनपदों के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गई थी। ये लाभार्थी वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 से संबंधित थे। 24 प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज (जुलाई 2018) कराई गयी थी। तथापि, राशि वसूल नहीं हो सकी थी और लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक उनके लिए उद्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया जा सका था।
सीतापुर	7 (₹2.80 लाख)	उद्दिष्ट लाभार्थियों की पहली किश्त की राशि झारखंड राज्य के गढ़वा जनपद के खाते में हस्तांतरित हो गई थी। पाँच लाभार्थियों के आवास

जनपद	लाभार्थियों की संख्या (अन्य खाते में हस्तांतरित राशि)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		निर्माण पूर्ण होने की सूचना दी गई थी, यद्यपि धनराशि की वसूली एवं इन लाभार्थियों को किश्तों का भुगतान (सितंबर 2024) नहीं किया जा सका था।

आयुक्त ग्राम्य विकास ने अवगत कराया (अप्रैल 2024) कि राज्य में लाभार्थी के खाते के बजाय अन्य खातों में गलत तरीके से हस्तांतरित ₹ 102.90 लाख की राशि में से केवल ₹ 1.60 लाख की राशि ही वसूल की जा सकी थी एवं शेष ₹ 101.30 लाख अप्राप्य थे। अग्रेतर, यह भी सूचित किया गया कि पहली किश्त सभी 189 प्रकरणों में निर्गत की गई थी एवं 39 प्रकरणों में दूसरी/तीसरी किश्त जारी की गई थी। अप्रैल 2024 तक 189 लाभार्थियों में से 17 लाभार्थियों के आवास पूर्ण हो चुके थे एवं 172 आवास अपूर्ण थे।

39 प्रकरणों में दूसरी/तीसरी किश्तों का भी गलत हस्तांतरण, इन प्रकरणों में राशि जारी करने से पूर्व लाभार्थी के बैंक विवरण की सत्यापन प्रक्रिया में बरती गयी शिथिलता की ओर संकेत करता था। साथ ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता राशि के भुगतान से वंचित होना पड़ा एवं उनकी किश्तों के अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरण के कारण उनके आवास अपूर्ण रह गए थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि उन प्रकरणों जिनमें उद्दिष्ट लाभार्थियों की राशि दूसरे राज्य के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गई थी, के जाँच के बाद, 159[38] प्रकरणों में साइबर अपराध की संभावना थी जिनमें ₹ 86.20 लाख की राशि सन्निहित थी। ये प्रकरण वर्ष 2017-20 की अवधि से संबंधित है और जनपदों द्वारा प्रारम्भ में ही प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी एवं हस्तांतरित राशि वापस करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ पत्राचार किया गया था। इस प्रकरण को वर्ष 2019 एवं 2020-21 में भारत सरकार के समक्ष भी उठाया गया था, तथापि इस संबंध में भारत सरकार के निर्देश प्रतीक्षित थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय समिति की आगामी बैठक में भी इस प्रकरण को उठाया जाएगा और प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आर्थिक अपराध का एक रूप होने के कारण मुख्य सचिव द्वारा इस प्रकरण को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2024) किया गया था।

[38] जौनपुर-4, संभल-25, वाराणसी-6, अंबेडकर नगर-6, बहराइच-95, फतेहपुर-01, ललितपुर-15 एवं सीतापुर-7

सारांश में, प्रशासनिक निधियों के कम उपभोग के परिणामस्वरूप केन्द्रीय अंश कम अवमुक्त हुआ। राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त कार्यक्रम निधि के केन्द्रीय अंश को राज्य नोडल खाते में हस्तांतरण में 74 से 105 दिनों तक विलंब किया, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक ब्याज के रूप में दायित्व का सृजन हुआ। वर्ष 2017-23 की अवधि में 79 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली किश्त निर्गत करने में विलम्ब हुआ**,** इसके अतिरिक्त 11,031 लाभार्थियों को उनके आवासों के पूर्ण होने के उपरांत भी ₹ 20.18 करोड़ का भुगतान लंबित था। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना शेष था। ऐसे अपात्र व्यक्तियों से ₹ 2.62 करोड़ की वसूली लंबित थी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये गए थे। संदिग्ध साइबर अपराध के प्रकरण भी पाए गए जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की किश्तें लाभार्थियों से भिन्न बैंक खातों में हस्तांतरित हो गयी थीं।

अनुशंसायें:

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

(2) राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश का हस्तांतरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में सम्मिलित सभी गतिविधियों पर प्रशासनिक निधियों का उपभोग किया जाए।

(4) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को लंबित मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाये।

(5) लाभार्थियों के सत्यापन में उचित सावधानी बरती जाए ताकि अपात्र लाभार्थियों को सहायता राशि निर्गत करने से बचा जा सके।

(6) संदिग्ध साइबर अपराध के प्रकरणों में सम्मिलित धनराशि की वसूली एवं उद्दिष्ट लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान किया जाए।